न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—45/2018/225 (2018/00045)

1. खेताराम पुत्र लालाराम, जाति रेगर, निवासी भूडोल, तहसील व जिला अजमेर ।
2. भागचंद पुत्र लालाराम, निवासी भूडोल, तह0 व जिला अजमेर ।
3. ज्ञानचंद पुत्र लालाराम, निवासी भूडोल, तह0 व जिला अजमेर ।
4. शांतिलाल पुत्र लालाराम, निवासी भूडोल, तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत, भूडोल, तहसील व जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 10.01.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 1/2018.

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री शिशिर विजयवर्गीय, वकील रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः— 12.1.2022

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 10.01.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. रेस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध अपीलांटस के अधी0न्याया0 के समक्ष पेश कर कथन किया कि खसरा नंबर 286/4687 रकबा 0.06 ळै0 में से 0.01 है0 एवं खसरा नंबर 287 रकबा 1.04 है0 में से 0.12 है0 व ग्राम मुहामी के खसरा नंबर 77 रकबा 1.18 है0 में से 0.07 है0 मौके पर रास्ता आमजन के आने जाने हेतु लिया जा रहा है जिसे राजस्व रिकार्ड में इंद्राज किया जावे । अधी0न्याया0 ने दिनांक 15.12.2017 को धारा 251—ए का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए ग्राम भूडोल के खसरा नंबर 286/4687 रकबा 0.06 है0 में से 0.01 है0 व 287 रकबा 1.04 है0 में से 0.12 है0 ग्राम मुहामी के खसरा नंबर 77 रकबा 1.18 है0 में से 0.12 है0 में आवागमान एवं ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने हेतु 15 फुट चौड़ा रास्ता दिये जाने के आदेश पारित कर दिय। अधी0न्याया0 के आदेशों की पालना में जब मौके पर जब रास्ता बनाने का कार्य शुरू हुआ तो अपीलांटस की ओर से तहत न्यायालय के समक्ष फर्जी तामील के आधार पर किये गये एकपक्षीय आदेश के विरूद्ध प्रार्थन पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 पेश किया जिसे अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 10.1.2018 द्वारा खारिज कर दिया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र वास्ते रिब्टल में दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पेश कर कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेजों को अभिलेख पर लिया गया तथ्झा उक्त दस्तावेजों के विरूद्ध में रिबटल में दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था । अपीलांट द्वारा जो दस्तावेज उक्त चरण में उल्लेखित किये गये है उनसे यह कहीं पर भी स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त दस्तावेज प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के रिबटल में प्रस्तुत किये गये है रिबटल के माध्यम से अपीलांट नवीन तथा प्रकरण से भिन्न दस्तावेज जो न्याय निर्णय के लिए सुसंगत नही को पत्रारवली पर नहीं लिया जा सकता है अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि मान0न्याया0 ने विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 41 नियम 27 के साथ दस्तावेज पेश किये थे जिसे रिकार्ड पर लिया जाकर अपीलांट को रिबटल में दस्तावेज पेश करने के हेतु आदेश दिये थे जिसकी पालना में अपीलांट द्वारा रिबटल में दस्तावेज पेश किये है । प्रत्यर्थी ने न्यायालय हाजा के आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त नहीं कराया है इसलिये रिबटल में प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया जावे ।

5. हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया । न्यायालय हाजा द्वारा रेस्पो0 का प्रार्थन पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलांट को रिबटल में दस्तावेज पेश करने के आदेश दिये गये थे जिसकी पालना में अपीलांट द्वारा रिबटल में दस्तावेज पेश किये गये है । इसके अतिरिक्त रेस्पो0 द्वारा न्यायालय हाजा के रिबटल में दस्तावेज पेश करने के आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त नहीं कराया गया है । अतः अपीलांटस द्वारा रिबटल में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय हाजा के आदेश से पेश किये जाने से तथा प्रकरण से संबंधित होने से रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है ।

6. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

7. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अधी0न्याया0 के समक्ष की गई संपूर्ण कार्यवाही में अपीलांटस को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया एव ना ही उनको उक्त प्रकरण की किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई । बिना अपीलांटस को सूचित किये फर्जी तामील के आधार पर आदेश पारित कर दिया क्योंकि पूर्व में अपीलांटस को उक्त तथ्य की जानकारी नहीं थी । अधी0न्याया0 के आदेशों की पालना में जब मौके पर रास्ता बनाने का कार्य शुरू हुआ तो अपीलांट की ओर से अधी0न्याया0 के समक्ष एकपक्षयी आदेश के विरूद्ध प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 पेश किया जिसे भी अधी0न्याया0 ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के निरस्त कर दिया है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251–ए के के अंतर्गत एक खातेदार लालाराम पुत्र छीतर को पक्षकार के रूप में संयोजित किए बिना ही उक्त लालाराम की आराजी में से रास्ता दिये जाने के आदेश पारित किये है जिसके विरूद्ध लालाराम की ओर से अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के न्यायालय मे पेश की गई जिसमें अपीलांटस को बतौर रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 5 के रूप

में कायम किया गया था । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 का निस्तारण पत्रावली के विपरीत जाकर इस आधार पर कर दिया कि मूल आदेश दिनांक 15.12. 2017 के विरूद्ध नियमित अपील पेश की जा चुकी है एवं पश्चात्वर्ती रूप से प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 पोषणीय नहीं है । अधी0न्याया0 के नोटिस अपीलांट को प्राप्त नहीं हुए है । जिस नोटिस की प्रति को आधार बनाकर अपीलांटस की तामील मानते हुए एकपक्षीय कार्यवाही की गई है वह स्वंय विश्वसनीय नहीं है क्योंकि उक्त तामील प्रति पर जो हस्ताक्षर मनीषा पुत्री खेताराम किये हुए है, उक्त हस्ताक्षर मनीषा पुत्री खेताराम के नहीं है । रेस्पो0 जो ग्राम पंचायत का सरपंच है और राजनैतिक रूप से प्रभावशाली है । उक्त ने तामील कुनिन्दा से सांठ–गांठ कर अपीलांट संख्या 1 की पुत्री मनीषा लिखवाकर तामील प्राप्ति बताकर उक्त नोटिस पत्रावली मे सलग्न करवा दिये । अपीलांटस अनुसूचित जाति का सदस्य है, जिसकी आराजी को खुर्द बुर्द करने की नियत से अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र धार 251–ए पेश किया था । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि अपीलांटस को प्रस्तुत प्रकरण में अलग–अलग पक्षकार होने के बावजूद अधी0न्याया0 द्वारा एक ही नोटिस जारी किया गया है जिसे भी रेस्पो0 ने तामील कुनिन्दा से मिलकर फर्जी तामील कराई है, जो विधिविरूद्ध है। अधी0न्याया0 ने समस्त खातेदारों को समुचित तामील करवाये बिना तथा बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है । इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांटस ने आर0आर0डी0 1984 पेज 111 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे ।

8. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 द्वारा नोटिस अपीलांट को तामील होने के बावजूद अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस अनुपस्थित रहे इसी कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई थी। अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की है जिसमें तहसीलदार ने अंकित किया है कि ग्राम मुहामी थोराडा की ढाणी में निवास करने वाले लगभग 20 परिवार के सदस्यों के आने जाने बाबत् वर्तमान में जो कच्चा रास्ता खातेदारी भूमि में से हाकर ग्राम मुहामी–गगवाना पक्की संपर्क सड़क में मिलता है । थोराडा की ढाणि में निवास करने वाले परिवारों के लिए वर्तमान में उपयोग में लिया जा रहा है । कच्चा रास्ता ग्राम मुहामी व भूडोल की खातेदारी भूमि में से होकर गुजरता है जो उक्त ढाणी हेतु लघुतम मार्ग है । रास्ते हेतु कुल 15 बिस्वा खातेदारी भूमि उपयोग में ली जा रही है जिसमें ग्राम मुहामी के खसरा नंबर 77 कुल रकबा 1.18 है0 में से 5 बिस्वा भूमि तथा राजस्व ग्राम भूडोल के खसरा नंबर 286/468 व 287 कुल रकबा 0.06 है0 व 1.04 है0 में से 10 बिस्वा भूमि रास्ते के उपयोग में आ रही है । चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से रास्ते के आदेश पारित किये है । बहस में आगे कथन किया कि अपीधीन निर्णय के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत होने से अधी0न्याया0 के समक्ष आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है । इसी कारण अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 निरस्त किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे । अपने कथनों के समर्थन में आर0एल0डब्ल्यू0 1999 पार्ट–2 पेज 1358, सी0सी0सी0 2016 (4) पेज

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

242, सी0सी0सी0 2017 (2) पेज 230, 2018 सी0जे0 रेन्ट कन्ट्रोल पेज 137, आर0आर0टी0 2014 पार्ट–2 पेज 1034, आर0एल0डब्लू0 1999 पार्ट–2 पेज 1358, 2016 (4) सिविल कोर्ट केसेज पेज 242 सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 के समक्ष लालाराम एवं अपीलांट खेताराम द्वारा दिनांक 28.6.2017 को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर आपत्ति पेश की थी। अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस खेताराम को नोटिस जारी किये गये है जिसकी तामील अपीलांट खेताराम की पुत्री मनीषा को कराई गई है । इसके बावजूद अपीलांटस अधी0न्याया0 के समक्ष अनुपस्थित रहे । अपीलांटस के बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से अधी0न्याया0 ने अपीलांटस के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाकर तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.12.2017 को पारित किया है । अधी0न्याया0 की उक्त कार्यवाही एवं अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 28.6.2017 से स्पष्ट है कि अपीलांटस को अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन प्रकरण की पूर्ण जानकारी थी इसके बावजूद अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष निर्णय पारित किये जाने की दिनांक तक लगभग 5 माह की अवधि तक कोई जवाब, साक्ष्य पेश नहीं किया गया । यही नहीं अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने के उपरांत अपीलांटस ने आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश कर एकतरफा कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे भी विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। अपीलांटस को अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन प्रकरण की पूर्ण जानकारी थी इसके बावजूद जानबूझकर अधी0न्याया0 के समक्ष अनुपस्थित रहे तथा समयावधि में एकतरफा कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु कोई चाराजोही नहीं की है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से अपीलांटस का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 खारिज किया है जिसमें हमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है ।

10. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.1.2018 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 12.1.2022 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर